(12)

//परिपत्र//

पत्रांक/ /आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/वाणि0क0/2011–12/दे0दून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादून::दिनांक:: 03 जून, 2011

**समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।**
**समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर**
**व वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।**

दिनांक 01–04–2011 से विभाग में ई–रजिस्ट्रेशन की प्रकिया लागू की गई है। इस प्रकिया के प्रारम्भिक दौर में आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में दिनांक 16–05–2011 को आयुक्त कर एवं अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के मध्य हुई वार्ता एवं दिनांक 19–05–2011 को उत्तराखण्ड के विभिन्न उद्योग एवं व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों एवं कर अधिवक्ताओं के साथ एक कार्यशाला (वर्कशाप) का आयोजन करते हुए उत्पन्न हो रही समस्याओं पर विचार विमर्श के उपरान्त दिये गये सुझावों पर सम्यक विचारोपरान्त ई–रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1– Internet की सुचारू व्यवस्था न होने के कारण रजिस्ट्रेशन के प्रार्थना पत्र को भरे जाने तथा upload किये जाने की समस्या के निराकरण हेतु पंजीयन प्रार्थना पत्र को offline भरने की व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है। उक्त व्यवस्था में पंजीयन प्रार्थना पत्रों को भरते समय online रहने की बाध्यता नहीं रहेगी तथा केवल पूर्ण भरे प्रार्थना पत्रों को अपलोड करने के लिये ही internet connection की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में व्यापारियों, कर व्यवसायियों व कर अधिवक्ताओं को इस तथ्य से अवगत कराना भी सुनिश्चित करें।

2– कुछ व्यापारियों द्वारा प्रार्थना पत्र स्वयं न भर पाने या internet की सुविधा उपलब्ध न हो पाने के कारण online आवेदन किया जाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में सभी खण्डाधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने कार्यालय में इन समस्याओं को लेकर आनेवाले व्यापारियों के प्रार्थना पत्रों को कार्यालय में उपलब्ध हेल्पडेस्क के माध्यम से भरवा लिया जाय तथा यदि व्यापारी द्वारा समस्त अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जा रहे हैं तो उसी दिन सत्यापन का कार्य पूर्ण करा पंजीयन जारी कर दिया जाय। यह निर्देश इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि व्यापारियों को केवल एक ही बार कार्यालय में सत्यापन की कार्यवाही हेतु आना पड़े एवं व्यापारी बार–बार कार्यालय आने की असुविधा से बच सके। नई व्यवस्था को लागू करने का दायित्व खण्डाधिकारियों का है। वे इस सम्बन्ध में कार्य निष्पादन के साथ–साथ व्यापारियों को नई व्यवस्था के सम्बन्ध में शिक्षित (educate) करने की भूमिका भी अदा करेंगें। विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों को नई व्यवस्था के सफल कियान्वयन हेतु facilitator की भूमिका निभानी है।

–2–

3— वार्ता एवं कार्यशाला में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि कुछ अधिकारियों को यह स्पष्ट नहीं है कि पंजीयन हेतु कौन—कौन से अभिलेख प्रस्तुत किये जाने हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 31—12—2010 से लागू मूल्य वर्धित कर नियम में संशोधित नियम—7 में सभी अभिलेख सूचीबद्ध कर स्पष्ट कर दिये गये हैं कि व्यापारी द्वारा पंजीयन के समय कौन—कौन से अभिलेख प्रस्तुत किये जाने हैं। अतः सभी अधिकारी इन संशोधित नियमों का भली—भांति अध्ययन कर लें तथा इन अभिलेखों की एक सूची बनाकर अपने पास रखें ताकि पंजीयन प्रार्थना पत्र के सत्यापन के समय प्रार्थना पत्र की जांच नियमों के अनुसार वांछित अभिलेखों से उचित प्रकार से की जा सके। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए नितान्त व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य निष्पादन किया जाय।

4— अधिवक्ताओं द्वारा साझेदारी प्रारूप की फर्मों के पंजीयन प्राप्त करने हेतु पंजीकृत partnership deed को शिथिल करने का अनुरोध किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि partnership ईकाईयों के पंजीयन के समय पंजीकृत partnership deed की प्रति दाखिल करने पर बल न दिया जाय।

5— ऐसी फर्म/कम्पनियां जिनका मुख्यालय प्रदेश के बाहर है, के सम्बन्ध में, आयकर विभाग द्वारा जारी PAN Card मूल रूप में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने पर बल न दिया जाय। यदि इस प्रकार के व्यापारियों के सम्बन्ध में आवेदनकर्ता द्वारा PAN Card की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की जाती है तो उस पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर स्वयं करा लिए जाय तथा उस का सत्यापन आयकर विभाग की इन्टरनेट साइट से करा लिया जाय।

6— संवेदनशील मामलों में जमानत की मांग का विकल्प रखा गया है। ऐसे मामलों में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा बिना किसी औचित्य के जमानत की मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि यदि किसी व्यापारी से कोई जमानत की मांग की जाती है तो उस जमानत की धनराशि के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण आदेश जारी किये जाय, जिससे कि व्यापारी को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े। पंजीयन जारी करने के बाद भी यदि व्यापारी के व्यापार की प्रकृति को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि व्यापारी से अतिरिक्त जमानत लिये जाने की आवश्यकता है तो इस सम्बन्ध में भी नियमानुसार औचित्यपूर्ण जमानत की मांग की जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए e-registration से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समयबद्ध रूप से करना सुनिश्चित किया जाय।

(राधा रतूड़ी)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड।